पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेंवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है।	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
01	समेकित मुर्गी विकास योजना	(i)इस योजना के तहत 10,000 एवं 5,000 क्षमता के लेयर फॉर्म की कुक्कुट स्थापना के तहत समान्य वर्ग को 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। (ii)ब्यालर फार्म की स्थापना की योजना के तहत 3000 पक्षी के ब्यालर फार्म की स्थापना पर समान्य वर्ग को 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। (iii)समेकित मुर्गी विकास योजना अंतर्गत बैक यार्ड पॉल्ट्री फार्म के तहत बी॰पी॰एल॰ परिवारों के बीच 45 लो इनपुट 28 दिवसीय चूजों का वितरण 10 रू॰ के अनुमानित दर पर जीविका के माध्यम से जीविका स्वयं सहायता समूह के लाभुकों को किये जाने का प्रावधान है।	(i) राज्य के सभी वर्गो के लोगों के लिये है। (ii) राज्य के सभी वर्गो के लोगो के लिये है। (iii) बी॰पी॰एल॰ परिवारों को जीविका स्वयं सहायता समूह के तहत लाभ दिया जाता है। क्रमांक i एवं ii योजना राज्य सरकार आवेदकों को चयन किया जाता है। इसके लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ऑनलाईन आवेदन करना है जिसे विभागीय बेवसाइट-state.bihar. gov.in/ahd से डाउनलोड कर वांछित प्रक्रिया पूर्ण पाये जाने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनो का चयन किया जाता है।	जिला पशुपालन पदाधिकारी/पशुपालन निदेशालय
02	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना	(i)इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में 20+1, 40+2 एवं 100+5 बकरी/बकरा के क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर समान्य वर्ग को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। (ii) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले बी॰पी॰एल॰ परिवारों को 03 प्रजनन योग्य बकरी (एक ईकाई) का अनुदानित दर (सामान्य वर्ग को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 90 प्रतिशत)पर वितरण किया जाना है। वितीय वर्ष 2023-24 में इस लाभुकों का चयन एवं वितरण कार्य जिला स्तर से किया जायेगा । पूर्व के वर्षों में जीविका के माध्यम से वितरण किया जाता था।	(i) राज्य के सभी वर्गो के लोगों के लिये है। (ii) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले बी॰पी॰एल॰ परिवारों के लिये है। इस हेतु ऑनलाईन state.bihar. gov.in/ahd पर कर सकते है।	जिला पशुपालन पदाधिकारी

03	पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा सेवाएँ	इस योजना के तहत 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा को स्थापना कार्य एवं अन्य व्यय के अतिरिक्त दवा के मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है। गैर योजना के तहत संचालित पशु चिकित्सालय को दवा मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार चालक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की संविदा आधारित सेवा ली जाती है। पशुपालन से संबंधित बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित किया जाता है। पशुपालक के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Ambulatory Van का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य स्कीम अंतर्गत HS&BQ रोग के विरूद्ध राज्य के सभी टीकाकरण योग्य पशुओं को HS&BQ का टीकाकरण किया जाता है। पशु चिकित्सालयों के लिए दवा पशुपालन निदेशालय द्वारा निविदा के माध्यम से दर का निर्धारित किया जाता है तथा क्रय जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है।	राज्य के सभी पशुपालक।	जिला पशुपालन पदाधिकारी
04	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (पशु टीकाकरण)	इस योजना के तहत संचालित राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य के सभी गो जाति/भैंस जाति के पशुओं को FMD/लम्पी त्वचा रोग/स्वाईन फलू/ब्रुसेलोसिस (8 माह तक के बाछी/पाड़ी) का टीकाकरण निःशुल्क PPR का टीकाकरण किया जाता है। ESVHD स्कीम के तहत एम्बुलेट्री वैन के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई, जो प्रखंड स्तर से संचालित किया जाना है। इस वैन के माध्यम से पशुपालकों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है।	राज्य के सभी वर्गो के गौ एवं भैंस पालक इस योजना के तहत लाभ उठा सकते है।	जिला पशुपालन पदाधिकारी /निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/परियोजना निदेशक, बी॰एल॰डी॰ए॰, पटना।
05	पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण	वर्तमान वितीय वर्ष में नावार्ड सम्पोषित तपक िगपग के तहत 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण कार्य कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 17 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं उनका भवन निर्माण करना प्रस्तावित है। पशु चिकित्सालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाता है।	सभी वर्गों के लिये।	जिला पशुपालन पदाधिकारी /निदेशक, पशुपालन

06	पशुधन विकास की योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुओं को उच्च उत्पादकता वाले पशुधन का प्रतिस्थापन करना है। इसके लिए बिहार राज्य पशु प्रजनन निति 2019 के आलोक में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/अन्य संस्थाओं/मैत्री के माध्यम से उच्च उत्पादकता वाले सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करना है। प्रति वर्ष 6,65,280 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय सहायता से संचालित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 1000 मैत्री का प्रशिक्षण दिया गया जिन्हें कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराई गई है। मैत्री के स्वरोजगार के निमित प्रशिक्षण देकर उपकरण की आपूर्ति की गई है।	सभी वर्गों के लिये।	परियोजना निदेशक, बी॰एल॰डी॰ए॰, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी
07	राष्ट्रीय एवं राज्य योजना से परिचालित अन्य सभी पशुपालन प्रक्षेत्र से संबंधित योजना।	निदेशालय स्तर पर चल रहीं राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजना इसके अंतर्गत संचालित हो रही है।	सभी वर्गों के लिये।	निदेशक, पशुपालन/जिला पशुपालन पदाधिकारी
08	कृत्रिम गर्भाधान के मामले	विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में प्रति पशु सामान्य जाति के लाभुकों से रूपये 40.00 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से रूपये 25.00 शुल्क का प्रावधान है। मैत्री द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के लिए 100.00 रूपया प्रति शुल्क का प्रावधान है। राज्य में उच्च गुणवत्ता के सीमेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सहायता से सीमेन स्टेशन, पूर्णियाँ की स्थापना की गयी है जहॉ देशी नस्ल/जर्सी/फ्रिजीयन नस्ल के साढ़ों से सीमेन का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से उत्पादित सीमेन का उपयोग राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है।	राज्य के सभी पशुपालक।	परियोजना निदेशक, बी॰एल॰डी॰ए॰, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी

09	मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास की योजना (उन्नत नस्ल के मत्स्य बीज वितरण।)	राज्य के जल सम्पदाओं में पालन-मात्स्यिकी को विवेकपूर्ण दोहन करते हुए मत्स्य-उत्पादन के विभिन्न श्रृंखलाओं पर योजनाओं का क्रियान्वयन फलस्वरूप राज्य "मत्स्य-उत्पादन" के साथ-साथ "मत्स्य-बीज" उत्पादन में आत्मनिर्भरता।	पात्रताः-मात्स्यिकी कार्य में लेने वाले इच्छुक लाभार्थी। लाभुकों का चयन प्रक्रियाः-मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन पश्चात विभागीय वेबसाईटः- fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र द्वारा लाभुकों का चयन किया जाता है।	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ मत्स्य निदेशक
10	पुराने सरकारी/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना	निजी क्षेत्र के ऐसे तालाब जिसमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो उसमें उड़ाही के द्वारा तालाब के जलधारण क्षमता को बढ़ाना ताकि मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि हो सके। पुरानी सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बंद हो चुकी है।	पात्रताः- निजी तालाब में मत्स्य पालन करने वाले मत्स्य कृषक/मछुआरा, मत्स्य पालक। निर्धारित इकाई लागत में अनुदान राशि के अतिरिक्त राशि वहन करने में सक्षम हो। लाभुकों का चयन प्रक्रियाः- मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन पश्चात विभागीय वेबसाईटः fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन (व्दसपदम) के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र द्वारा लाभुकों का चयन किया जाता है। भौतिक लक्ष्य-150 (सं०)86हे0 (सामान्य) 27 हे0(अति पिछड़ी जाति)। 30 हे0 (अनुसूचित जाति)। 7 हे0 (अनुसूचित जाति)। अनुदान- अन्य वर्ग- 30 प्रतिशत तथा अतिपिछड़ी, अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति-40 प्रतिशत अनुदान।	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

11	मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन की योजना	राज्य में संगठित एवं स्वच्छ खुदरा मत्स्य बाजार उपलब्धता के साथ ही मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी एवं स्वच्छ मछली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	पात्रताः- मात्स्यिकी कार्य में अभिरूची लेने वाले लाभार्थी।	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
12	प्रशिक्षण की योजना (मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण)	इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्य कृषकों को नवीनतम मात्स्यिकी तकनीक उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण दिलाना, मत्स्य तकनीक एवं संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कॉन्फ्रेंस कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन कर मात्स्यिकी तकनीकी को किसानों तक पहुँचाना जिससे मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि से मत्स्यपालकों के आर्थिक आय में वृद्धि हो सके।	पात्रताः- निजी/सरकारी जलकर/तालाब में मत्स्य पालन करने वाले मत्स्य कृषक/मछुआरा, मत्स्य पालक, मात्स्यिकी विकास के विभिन्न अवयव/योजनाओं के लाभुक/आवेदक/मात्स्यिकी से जुडे व्यवसायी। प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य। लाभुकों का चयन प्रक्रियाः- मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन पश्चात विभागीय वेबसाईटः fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन (व्दसपदम) के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र द्वारा लाभुकों का चयन किया जाता है। लक्ष्यः भौतिक लक्ष्यः राज्य के अंदर-6780, राज्य के बाहर-1210 (कुल-7990 सं०) अनुदान- निः शुल्क।	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
13	मछुआ आवास योजना	यह योजना बंद हो गया है।		
14	दुर्घटना बीमा योजना	यह योजना केन्द्र से संबंधित है		
15	आर्द्र जल क्षेत्र की योजना	यह योजना बंद हो गया है।		
16	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	यह योजना बंद हो गया है।		

17	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	यह योजना बंद हो गया है।		
18	जन जाति क्षेत्र उपयोजना	यह योजना बंद हो गया है।		
19	समग्र गव्य विकास योजना	1. इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्य धारा मे शामिल करना। 2. इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर। 3. SC/ST-75% अनुदान, OBC एवं अन्य-50% अनुदान। 4. 15 एवं 20 दुधारू मेवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।	1.पात्रता-राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों 2.कार्यक्षेत्र-राज्य के सभी जिले में। 3.योजना का क्रियान्वयनः- राज्य के सभी जिलों में ग्रामीणों क्षेत्रों में ही किया जायेगा। 4.इस हेतु इच्छुक आवेदको द्वारा समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑनलाईन भरें जायेगें।	जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी
20	प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना(गव्य तकनीक संबंधित प्रशिक्षण)	प्रशिक्षण योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/महिलाएँ जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हो अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानो ं/राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराना है, जिससे उन्हें दुग्ध व्यवसाय से जुड़े आधुनिक तकनीक के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त होगा तथा स्वरोजगार का सृजन भी होगा।	1.पात्रता - ग्रामीण क्षेत्र मे 18-55 वर्ष के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक बेरोजगार युवक/महिलाएँ जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हो। 2.कार्यक्षेत्रः-राज्य के सभी जिले। 3.योजना का क्रियान्वयनः-इच्छुक आवेदक गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर संबंधित जिला गव्य विकास कार्यालय/गव्य प्रक्षेत्र कार्यालय में संर्पक करेंगें। 4.योजना से लाभः- विभगीय योजनाओं में आवेदको का चयन में प्रशिक्षित आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थी अपने क्षेत्र में निपुण होकर गव्य व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सकेंगे।	जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)

21	विशेष अंगीभूत के तहत अनुसूचित जाति/अनु॰ जन जाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण	प्रशिक्षण योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/महिलाएँ जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हो अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानो◌ं/राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराना है, जिससे उन्हें दुग्ध व्यवसाय से जुड़े आधुनिक तकनीक के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त होगा तथा स्वरोजगार का सृजन भी होगा।	अनुसूचित जाति/अनु॰ जनजाति के महिला एवं पुरूष। योजना का क्रियान्वयनः-इच्छुक अनुसूचित जाति/अनु॰ जनजाति के महिला एवं पुरूष गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर संबंधित जिला गव्य विकास कार्यालय/गव्य प्रक्षेत्र कार्यालय में संर्पक करेंगें।	जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)
22	दुग्ध समितियों के गठन की योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आगामी 4 वर्षों में राज्य के सभी गांवों को दुग्ध सरकारी समितियों से अच्छादित करना है ताकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्य के रूप में उभर सके। इसके अंतर्गत 2021-22 से 2024-25 तक कुल 7000 दुग्ध सहकारी समितियों से अच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस निर्धारित लक्ष्य में से 40 प्रतिशत महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा। कॉम्फेड के कर्मीयों के क्षेत्रों का निरीक्षण/सर्वे एवं जनता के रूझानों के आधार पर समिति का गठन किया जाता है।	बिहार राज्य के सभी वर्गों के पुरूष एवं महिला।	निदेशक गव्य/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड।
23	दुग्ध संग्रहण/विपणन केन्द्र की स्थापना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आगामी 4 वर्षों में सुधा उत्पादों को सभी नगर निकाय, निगम एवं सभी प्रखंड स्तर पर बिक्री हेतु केन्द्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 600 नये विपणन केन्द्र की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना हेतु सरकार से जमीन का आवंटन इत्यादि होने के पश्चात् कॉम्फेड के द्वारा केन्द्रों का निर्माण कराया जाता है एवं उसके बाद इस हेतु पेपर में विज्ञापन दिया जाता है।	बिहार राज्य के सभी वर्गों के पुरूष एवं महिला।	निदेशक गव्य/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड।

24	स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना	वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।		
25	स्वचालित मिल्कींग मशीन की स्थापना	वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।		
26	डेयरी केन्द्रों की स्थापना से संबंधित मामले	इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉम्फेड के अधीनस्थ दुग्ध संघों एवं डेयरी इकाईयों में शेष बचे परियोजनाओं को पूर्ण करना है ताकि राज्य दुग्ध उत्पादकता एवं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इस योजना में सरकार द्वारा जमीन आवंटन होने के बाद कॉम्फेड के द्वारा डेयरी केन्द्रों की स्थापना करायी जाती है।	अधीनस्थ दुग्ध संघ।	प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड।